न्यायेतर न्यायेक

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 508757

----3----

<u>मिर्जा कलीम बेग शिक्षण प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान:-</u>

(इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 केअंतर्गतकार्यरतट्रस्ट)

<u>उद्देश्य एवं नियमावली :-</u>

(1) <u>ट्रस्ट का उद्देश्य :-</u>ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल , इंटरमीडिएट कॉलेज , महाविद्यालय , पुस्तकालयों , वाचनालयो , प्रयोगशालाओं , चिकित्सालयों , अनाथालयों , वृद्धा आश्रमों , अनुसंधान केन्द्रों , छात्रावासों, कंप्यूटर केन्द्रों , निराश्रितों केन्द्रों , सर्वेक्षण केन्द्रों , सामुदायिक विकास केन्द्रों ,पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना , नामकरणविकास , सम्बद्ध, प्रबंध संचालन आदि कर सकतातथा आवश्यकता होने पर परिषदों ,विभागों , प्रतिष्ठानों ,स्थरो , शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध साबद्ध पंजीकृत अनुमोदित , स्वीकृत करा सकना।

क्रमशः 4

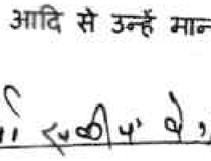

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs. 50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 508758

2. ग्राम विकासअभिकरण गति विधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामउद्योगबोर्ड की योजनाओ का संचालन करना।
4. कृषिकार्य हेतु बंजरभूमि का सुधार एवंकटाव रोक कर जल सुरक्षा एवं नमी संरक्षण करना ।
5. उद्यानिकरण एवं जंगलात का विकास करना।
6. महिला बाल विकास एवंस्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगितात्मक परीक्षाओ कीतैयारी हेतु संस्थाओ की स्थापना करना।
8. कृषि संगीत सम्बंधित आदि विषयो की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना ।
9. केंद्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन ,समाज कल्याण , नवार्ड, कपार्ट , सामाजिक न्यास एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिलाकल्याण , नेहरू युवा केंद्र ,खेल-कूद युवामंत्रालय ,ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों केकार्यक्रम का संचालन करना ।

क्रमशः 5

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 508759

10. आई०टी०आई० , फर्मेसी , नर्स ट्रेनिंग , ऑपरेशन टेकनिशियन , लैब टेकनिशियन , फिजियोथिरैपी आदि मेडिकल कॉलेजो एवं इंजीनियरिंग कालेजो की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगो के लिए हास्पीटल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केद्र , मेडिकल स्टोर , जनरल स्टोर, किराना की दुकान , फोटो स्टेट ,टाइपिंग,कम्पनी , फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना ।
12. पुस्तकालय , वाचनालय , पत्र - पत्रिकाओ , समाचार -पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण , बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना ।
13. अंधे , गूंगे, बहरे , असहाय लोगो के लिए शिक्षा चिकित्सा , आवास भोजन आदि की व्यवस्था करना ।
14. विभिन्न विषयो एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यावहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्य , वैज्ञानिक , क्रीडा , मार्शल आर्ट , संगीत , तकनीकी , सामाजिक, आधुनिक, भाषा अंग्रेजी , उर्दू, कंप्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयो का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध करना।

क्रमशः 6

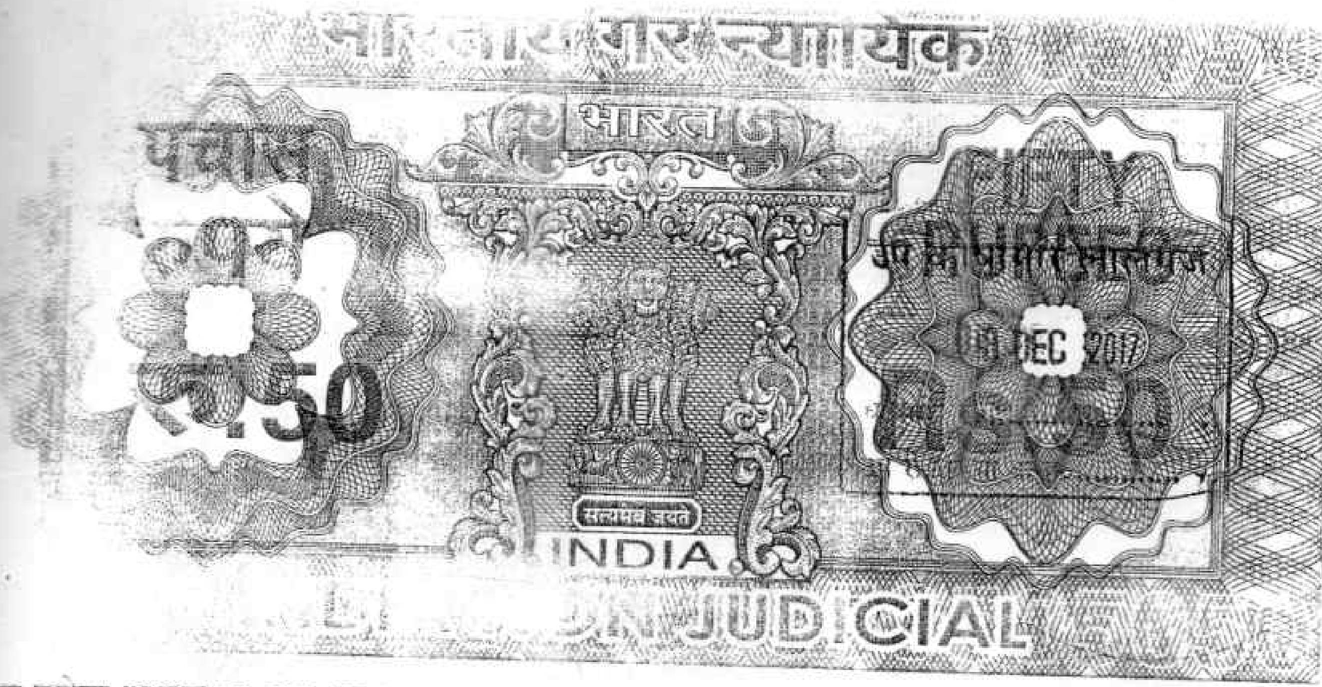

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 508760

15. विभिन्न प्रतियोगितायो एवं प्रतिस्पर्धापरीक्षाओ में छात्र- छत्राओ को सफल बनाकर स्वालंबी बनाने हेतु उनके अध्ययन , अध्यापन आवास आदि सुविधाओ का व्यवस्था करना।
16. पुस्तको साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन संपादन, प्रकाश, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम , पर्यावरण कार्यक्रम , एड्स कार्यक्रम , अधिवेशन, गोष्ठियों , सम्मलेन , प्रतियोगिताएं, बैठके, विशेष कक्षाए सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
18. सिलाई, कढाई , बुनाई , स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट के द्वारा संचालित विद्यालयों , महाविद्यालयों मेडिकल कॉलेज , इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपने ट्रस्ट द्वरा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकता है।

क्रमशः 7

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 334128

20. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्टीय हेतु अंतरराष्टीय संगठनो संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना ।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना ।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार-प्रसार कर सकना ।
24. प्रयावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधर हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना ।
25. एड्स के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार-प्रसारकर सकना।
26. पुस्तक, पुस्तिकाए ,पत्र , पत्रिकाए समाचार पत्र आदि को प्रकाशित सम्पादित वितरित विक्रति कर सकना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओ / वस्तुओके लिए समुचित शुल्क / मूल्य/ निर्धारित करना तथा प्राप्त करना ।
28. पत्राचार द्वाराअध्ययन - अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना तथातत्सविधितआवश्यक व्यवस्थाए कर सकना।

क्रमशः 8